न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 03/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गोपालसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत निवासी सरदारसमंद तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. चैनसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपुत निवासी सरदारसमंद तह0 सोजत जिला पाली हाल निवासी सरदारसमंद हाउस मकान नं0 131ए, गली नं0 5, मोहन नगर—ए, बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर राज0।
		2. हेमेन्द्रसिंह
		3. कृष्णपालसिंह पीसरान स्व0 उम्मेदसिंह निवासीगण सरदारसमंद तह0 सोजत जिला पाली राज0।
		4. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री संजय ओझा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।
03. श्री किशन सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 व 03 उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक :— 13/10/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सरदारसमंद तहसील सोजत के वर्तमान खाता सं0 108 पुराना खाता सं0 88 के खसरा नंबर 652 रकबा 3.6700 है0 तथा खसरा नंबर 655 रकबा 3.4500 है0 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई स्थित हैं। खसरा नंबर 655 रकबा 3.4500 हैक्टर की कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 चेनसिंह ने 0.9600 हैक्टर (6 बीधा) कृषि भूमि प्रार्थी को तथा 0.9600 हैक्टर (6 बीधा) अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दिनांक 26/6/2014 को जरिये बेचान रजिस्ट्री के बेचान किया गया, जो पंजीयन रजिस्ट्री उप पंजीयन कार्यालय में पंजीयन सुदा है। उसी दिन अप्रार्थी चैनसिंह ने मौके पर माप चौक कर झालमसिंह के पड़ौस वाली चिपते ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के चिपते ही पडौस वाली कृषि भूमि रोड से माप कर मुझ प्रार्थी गोपालसिंह को धोरा लगवाकर सुपुर्द की थी तथा शेष कृषि भूमि को खसरा नंबर 652 के चिपते ही अपने हिस्से में रखा, उसी अनुसार सभी खातेदार मौके पर काबिज काश्त वक्त खरीद से चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र के साथ वादस्थ कृषि भूमि खसरा नंबर 655 का राजस्व ट्रेस नक्शा अनुसार मौके पर काबिज स्थिति अनुसार एक नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' बनाया है, जिस नजरी नक्शा परिशिष्ट—क में मार्क 'अ' स्थान जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है, जो अप्रार्थी संख्या 1 चेनसिंह का है तथा मार्क 'ब' स्थान जिसे पीले रंग से दर्शाया है, जो प्रार्थी गोपालसिंह का है तथा मार्क 'स' स्थान हरे रंग से दर्शाया है, जो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का है, प्रार्थी ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाने के लिए जरिये बेचान रजिस्ट्री से राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन भरने के लिए पटवार हल्का सरदारसमंद को सुपुर्द किये थे, तो पटवारी साहब को राजस्व रेकर्ड में जरिये म्यूटेशन से उनके हक हिस्से की कृषि भूमि व उनका नाम मात्र इन्द्राज करना था, लेकिन उन्होंने अपनी मन मर्जी अनुसार बिना किसी पक्षकारान के आवेदन या बिना सहमति के खसरा नंबर 655 के रोड़ साईड अनुसार खड़े टुकड़े न कर खसरा नंबर 655 के आडे तीन टुकडे कर नामान्तरण के पीछे नजरी नक्शा बनाकर खसरा नंबर 655 के तीन टुकड़े यानि 655 मूल खसरा रकबा 1.5300 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से में रोड़ के चिपते ही रख दिया और उनके पीछे खसरा नंबर 655/1 रकबा 0.9600 हैक्टर प्रार्थी गोपालसिंह के हक हिस्से का होना बताया व खसरा नंबर 655/2 रकबा 0.9600 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 2 हेमेन्द्रसिंह व अप्रार्थी संख्या 3 कृष्णपालसिंह के हक हिस्से में होना बताया। जबकि उनको ऐसा करने के लिए किसी पक्षकार ने न तो कोई आवेदन पेश किया और न ही किसी प्रकार की सहमति दी, फिर भी उन्होंने जानबूझकर अपनी मन मर्जी अनुसार बंटवाड़ा कर म्यूटेशन सख्या 1161 दिनांक 06/4/2015 को

उपखण्ड अधिकारी

भरकर ग्राम पंचायत सरदारसमंद के सरपंच महोदय से पास करवा दिया, जबकि ग्राम पंचायत या सरपंच को विधिक बंटवाड़ा करने का कोई विधिक अधिकार नही है, फिर भी उन्होंने बंटवाडा कर सरदारसमंद के सरपंच से स्वीकृत करवा दिया। जो बंटवाड़ा कतई विधिक रूप से मानने योग्य नही है, अर्थात प्रारम्भ से शून्य है। जबकि हमने उक्त कृषि भूमि को रोड़ साईड से लम्बवत भाग (खडे) के रूप में खरीद की थी और उसी अनुसार मौके पर वक्त खरीद से आज दिन तक काबिज काश्त है। जिसके पडौस भी हमारी रजिस्ट्री में वर्णित है और उसी अनुसार मौके पर आज दिन तक काबिज काश्त है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, यदि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की खरीदसुदा कब्जाकाश्त की कृषि भूमि से प्रार्थी को अपनी मन माफिक कब्जा कर बेदखल कर आगे से आगे बेचान हस्तानान्तरण करने पर उतारू है, यदि अप्रार्थीगण अपने कृत्य में सफल जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह दौराने मूल वाद वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी के वक्त खरीद व नजरी नक्शा अनुसार काबिज कृषि भूमि (0.9600 हैक्टर ग्रानि 6 बीघा) में अप्रार्थीगण किसी प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा अडचन नही पहुंचावे तथा अप्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर अन्यत्र किसी को बेचान हस्तानान्तरण न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 की ओर से जवाब प्रा0पत्र मय काउण्टर प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 652 तथा खसरा संख्या 655 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि नहीं है, बल्कि उक्त दोनो खसरो की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के खातेदारी की कब्जासुदा कृषि भूमि है। खसरा संख्या 655 क्षेत्रफल 3.4500 हैक्टर में से अप्रार्थी संख्या 1 ने 0.9600 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी को तथा 0.9600 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दो अलग–अलग विक्रय विलेखो के द्वारा दिनांक 26/06/2014 को विक्रय की है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि उसी दिन अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर माप चौक कर जालम सिंह के पड़ौस वाली चिपते ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के चिपते ही पड़ौस वाली कृषि भूमि रोड से माप कर मुझ प्रार्थी गोपाल सिंह को धोरा लगवा कर सुपुर्द की तथा शेष कृषि भूमि खसरा संख्या 652 के चिपते ही अपने हिस्से में रखी व उसी अनुसार सभी खातेदार मौके पर काबिज काश्त वक्त खरीद से चले आ रहें है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' पूर्णतः गलत बनाया गया है, नजरी नक्शे में दर्शाये स्थान अ, ब,स के अनुसार पक्षकार काबिज नहीं है तथा न नजरी नक्शे के अनुसार क्रेताओं को कब्जा सौपा गया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांकित 26/06/2014 के पृष्ठ संख्या 2 में बेचान की जाने वाली कृषि भूमि का स्पष्ट विवरण दर्शाया है कि बेचान की गई कृषि भूमि के उत्तर दिशा में इसी खसरे की शेष कृषि भूमि (अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि) व दक्षिण दिशा में आज ही हेमेन्द्र सिंह व कृष्णपाल सिंह (अप्रार्थी संख्या 2 व 3) को बेचान की गई कृषि भूमि है तथा उस स्थान का कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को सौपा है, और इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के पृष्ठ संख्या 2 में बेचान की जाने वाली कृषि भूमि का भी विवरण दर्शाये है, जिसके अनुसार उन्हें बेचान की गई कृषि भूमि की उतर दिशा में दिनांक 26/06/2014 को ही गोपल सिंह (प्रार्थी को बेची गई कृषि भूमि) है, और उसी स्थान का कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को सौपा है। पटवारी हल्का द्वारा पंजिकृत विक्रय विलेख में विक्रित कृषि भूमि का जो विवरण दर्शाया गया है, उसी अनुरूप नामान्तरण भरा गया है, जो नामान्तरण पूर्णतः वैद्य व सही है। खसरा संख्या 655, 655/1 व 655/2 तीनो खसरो की कृषि भूमि अलग–अलग व्यक्तियों के खातेदारी की है। खसरा संख्या 655/1 की कृषि भूमि अकेले प्रार्थी के खातेदारी की होने से विधिक रूप से विभाजन किये जाने योग्य नही है। प्रार्थी स्वयं पढ़ा–लिखा व्यक्ति है, उसके पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख जिसमें उसे विक्रय की गई कृषि भूमि का स्पष्ट उल्लेख है, को पढ़–समझ कर उस पर अपने हस्ताक्षर किये है। विक्रय विलेख के पंजियन के समय वह स्वयं उप–पंजियन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ था, जहां उप–पंजियन अधिकारी ने विक्रय विलेख को पढ़ कर प्रार्थी को सुनाया था, और सुन समझ कर विक्रय विलेख में अंकित समस्त तथ्यो को सही मान कर ही प्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशानी की थी। चूंकि सड़क से चिपते कृषि भूमि अधिक मुल्यवान होती है, अतः प्रार्थी की नियत में खोट आ गई है और वह सड़क से चिपते अप्रार्थी संख्या 1 की मुल्यवान भूमि को हड़पना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी स्वयं झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है तथा कई झगडालू प्रवृत्ति के लोगो के साथ इसकी दोस्ती व रिश्तेदारी है, जिनके बल पर वह मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655 क्षेत्रफल 1.5300 हैक्टर पर बलपूर्वक कब्जा

उपखण्ड अधिकारी

करना चाहता है। खसरा संख्या 655 क्षेत्रफल 1.5300 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी या संयुक्त कब्जाकाश्त की कृषि भूमि नहीं है। बल्कि अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कब्जासुदा कृषि भूमि है, जो कृषि भूमि माप एवम् सीमांकन के द्वारा विधिक विभाजन किये जाने योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655 रकबा 1.5300 हैक्टर को बेचने या अन्य प्रकार से अन्तरीत करना नहीं चाहता है, तथापि अपने खातेदारी की कब्जासुदा कृषि भूमि को बेचने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से स्थायी/अस्थायी व्यादेश द्वारा रोकने का प्रार्थी को कोई अधिकार नही है। चूंकि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655 क्षेत्रफल 1.5300 हैक्टर पर विधि विरूद्ध रूप से लाठी लकड़ी के बल पर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं है एवम् न उसे किसी प्रकार की अपूर्तिनीय क्षति हो रही है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का व्यादेश जारी न करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रथम दृष्टया बहुत ही मजबूत मामला बनता है, यदि अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध उसके खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655 क्षेत्रफल 1.5300 हैक्टर के उपयोग व उपभोग को प्रभावित करने वाला कोई अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है तो, इससे अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसका आंकलन मौद्रिक रूप से किया जाना सम्भव नहीं है, तथा ऐसे किसी व्यादेश से अप्रार्थी संख्या 1 को भारी असुविधा होगी। प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से नहीं आया है। उसने नजरी नक्शे की कुटरचना की है, नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थी का कब्जा नहीं है, अतः प्रार्थी किसी प्रकार का अस्थायी व्यादेश अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपितु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

विशेष आपत्तियां :– अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि बेचान की जाने वाली कृषि भूमि के उत्तर दिशा में इसी खसरे (655) की कृषि भूमि (अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की) तथा बेची गई कृषि भूमि की दक्षिणी दिशा में आज ही हेमेन्द्र सिंह व कृष्णपाल सिंह को बेचान की गई कृषि भूमि आई हुई है। इससे यह भली भांति प्रमाणित होता है कि प्रार्थी को बेची गई कृषि भूमि सडक से चिपते आई हुई नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655 व दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655/2 के मध्य प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655/1 क्षेत्रफल 0.9600 हैक्टर स्थित है, इस कृषि भूमि के इत्तर अन्य किसी भूमि पर प्रार्थी का न तो हक अधिकार है, न उसका कब्जा है। अप्रार्थी संख्या द्वारा प्रार्थी को बेची गई कृषि भूमि का नया खसरा संख्या 655/1 बना है, जो सम्पूर्ण खसरा अकेले प्रार्थी के खातेदारी का है, जिस भूमि में अन्य कोई सहखातेदार नहीं है। अतः प्रार्थी के खांतेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655/1 विधिक रूप से विभाजित किये जाने योग्य कृषि भूमि नहीं है। अतः कृषि जोत के विभाजन के लिये प्रार्थी का वाद पोषणीय नहीं होने से अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र भी पोषणीय नहीं है। चूंकि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में स्वेच्छया मिथ्या कथन कर रहा है कि, उसने संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाई कृषि भूमि क्रय की है। ''बेचानसुदा आराजियात आबादी भूमि एवम् मुख्य सडक मार्ग से दो किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसमें आने जाने का कच्चा रास्ता मौके पर बना हुआ है, जिनका उपयोग मेरे द्वारा किया जाता है, आप भी उसी रास्ते का उपयोग उपभोग करना रास्ता बाबत् कोई विवाद नहीं है'' जिससे यह भलि–भांति प्रमाणित होता है कि बेचानसुदा कृषि भूमि सड़क से चिपते आई हुई नहीं है, यदि सड़क से चिपते उत्तर दिशा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय की गई कृषि भूमि (नजरी नक्शे के अनुसार) आती तो दोनो विक्रेताओं को किसी कच्चे रास्ते के उपयोग व उपभोग की आवश्यकता ही नहीं होती। विक्रय विलेखो में कच्चे रास्ते का उल्लेख होने से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रित कृषि भूमि सड़क से चिपते आई हुई नहीं है। आज से करीब 20–25 वर्ष पूर्व बेरा ढिमड़ी से खसरा संख्या 654 तक पिलाई हेतु दो पाईप लाईने बिछाई गई थी, उस समय इन पाईप लाईनों के रख रखाव, देख रेख हेतु आने जाने के लिये 15 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता छोड़ा गया था, जिस रास्ते का उपयोग व उपभोग सभी खेतो वाले करते थे। लगभग 02–03 वर्ष पूर्व श्रवण सिंह, चन्दन सिंह, गजे सिंह, गोपाल सिंह, हेमेन्द्र सिंह, मनोहर सिंह, इत्यादि लोगो के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ व रोका रोकी होने लगी, तब सब परिवार वालो ने मिलकर सभी लोगो को समझाया तथा सभी लोगो ने मिलकर पारिवारिक सहमति पत्र का निष्पादन कर दिनांक 26/10/2018 को नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाया। उस सहमति पत्र में प्रार्थी गोपाल सिंह व अप्रार्थी संख्या 2 हेमेन्द्र सिंह ने में एक पक्षकार के रूप में अपने हस्ताक्षर किये है, जिस सहमति पत्र में खसरा संख्या 655 का भी उल्लेख है। जिससे यह भली भांति प्रमाणित होता है कि खसरा संख्या 655 के पूर्व की तरफ 15 फुट कच्चा रास्ता चालू है। खसरा संख्या 655/1 व 655/2 पूराने खसरा संख्या 655 से बने है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी

655/1 व 655/2 तक जाने के लिये पूर्व दिशा में आये हुये रास्ते का उपयोग व उपभोग कर सकते है। अप्रार्थी संख्या 1 खसरा संख्या 655 क्षेत्रफल 1.5300 हैक्टर का अभिलिखित खातेदार है तथा राजस्व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के अनुसार अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणिय नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा किसी भी समय लाठी–लकडी के बल पर प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 655 में कच्चा पक्का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की प्रबल आशंका है। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सभी लोग झगडालू प्रवृति के है तथा इनको कई असामाजिक तत्वो का सहयोग है, जिनके बल पर ये लोग कभी भी मुझे व मेरे परिवार को जान–माल का नुकसान पहुंचा सकते है तथा मेरी खातेदारी की कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 655 क्षेत्रफल 1.5300 हैक्टर पर बलपूर्वक कब्जा कर सकतें है। यदि ये लोग अपने उद्देश्य में सफल हो जाते है, तो उससे मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्तिनीय क्षति होगी तथा मैं अपने हक अधिकार की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जाउंगा, तथा मुझे भारी असुविधा होगी एवम् पक्षकारो के मध्य अनावश्यक रूप से वाद बहुल्यता भी होगी।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध स्थायी व्यादेश हेतु प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चूंकि मूल वाद के निस्तारण में लम्बा समय लगेंगा। अतः मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अस्थायी व्यादेश के द्वारा मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655 क्षेत्रफल 1.5300 हैक्टर पर से बलपूर्वक बेदखल करने एवम् किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से रोकने एवम् मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान अथवा अड़चन स्वयं अथवा अपने नौकर, चाकर, एजेन्टो के जरिये कारित करने से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने मूल वाद के विचाराधीन रहते मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को अपने खातेदारी की कृषि भूमि पर से बलपूर्वक बेदखल कर किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर दिया, या मुझे मेरे खातेदारी की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने से बलपूर्वक रोक दिया, तो मेरे द्वारा मूल प्रतिष्ठेवा प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेंगा। अतः न्यायहित में प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना अत्यनतः आवश्यक है।

अप्रार्थी सं0 02 व 03 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 का जवाब यह है कि प्रार्थी का यह लिखना सही है कि खसरा नंबर 655 रकबा 3.4500 हैक्टर की कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 चेनसिंह ने 0.9600 हैक्टर (6 बीघा) कृषि भूमि प्रार्थी को तथा 0.9600 हैक्टर (6 बीघा) हम अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दिनांक 26/6/2014 को जरिये बेचान रजिस्ट्री के बेचान किया, जो रजिस्ट्री उप पंजीयन कार्यालय में पंजीयन सुदा है। उसी दिन अप्रार्थी चौनसिंह ने मौके पर माप चौक कर झालमसिंह के पड़ौस के चिपते ही हम अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को तथा चिपते ही प्रार्थी गोपालसिंह को रोड़ से माप कर कब्जा सुपुर्द किया था। तथा खसरा नंबर 655 की शेष कृषि भूमि जो खसरा नंबर 652 के चिपते ही आयी हुई है, उसे अपने हिस्से में रखा और उसी अनुसार तमाम पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी ने वादपत्र के साथ वादस्थ कृषि भूमि खसरा नंबर 655 का ट्रेस नक्शा अनुसार मौके पर काबिज स्थिति का जो नजरी नक्शा परिशिष्टक पेश किया है, जो सही है। तथा उस नजरी नक्शा परिशिष्ट–क में मार्क 'अ' स्थान जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है, जो अप्रार्थी संख्या 1 चेनसिंह का है तथा मार्क 'ब' स्थान जिसे पीले रंग से दर्शाया है, जो प्रार्थी गोपालसिंह का है तथा मार्क 'स' स्थान हरे रंग से दर्शाया है, जो हम अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का बताया है, जो सही होने से स्वीकार है, क्योकि स्वयं चेनसिंह ने हम पक्षकारान को कब्जा सुपुर्द किया और रजिस्ट्री में भी पडौस दर्शाये गये थे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 का जवाब यह है कि हम अप्रार्थीगण द्वारा अपना नाम व हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन इन्द्राज करने के लिए बेचान रजिस्ट्री पटवार हल्का सरदारसमंद को सुपुर्द किये थे, लेकिन उन्होंने अपनी मन मर्जी से बिना किसी हम पक्षकारान के बंटवाड़ा करने के आवेदन या बिना सहमति के खसरा नंबर 655 के रोड साईड अनुसार मौके की स्थिति यानि खड़े टुकड़े न दर्शाकर खसरा नंबर 655 के आडे तीन टुकडे होना दर्शाकर नामान्तरण के पीछे नजरी नक्शा बनाकर खसरा नंबर 655 के तीन टुकड़े यानि 655 मूल खसरा रकबा 1.5300 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से में रोड़ के चिपते ही रख दिया और उनके पीछे खसरा नंबर 655/1 रकबा 0.9600 हैक्टर प्रार्थी गोपालसिंह के हक हिस्से का होना बताया व खसरा नंबर 655/2 रकबा 0.9600 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 2 हेमेन्द्रसिंह व अप्रार्थी संख्या 3 कृष्णपालसिंह के हक हिस्से में होना बताया। जबकि बंटवाड़ा करने के लिए हम पक्षकार ने पटवारी के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया था और न ही किसी प्रकार की सहमति हमने दी, फिर भी उन्होंने जानबूझकर अपनी मन मर्जी अनुसार बंटवाड़ा होना बताकर म्यूटेशन सख्या 1161 दिनांक 06/4/2015 को भरकर ग्राम पंचायत सरदारसमंद के सरपंच महोदय से पास

उपखण्ड अधिकारी,

करवा दिया, जबकि ग्राम पंचायत या सरपंच को विधिक बंटवाडा करने का कोई विधिक अधिकार नही है, फिर भी उन्होंने बंटवाडा कर सरदारसमंद के सरपंच से स्वीकृत करवा दिया। जबकि सरपंच को बंटवाड़ा स्वीकृत का विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यह बंटवाड़ा कतई विधिक रूप से मानने योग्य नहीं है, अर्थात प्रारम्भ से शून्य है। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा काश्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, न ही उक्त कृषि भूमि का विधिक बंटवाड़ा करवाये अप्रार्थी संख्या 1 जो बेचान हस्तानान्तरण करने का अधिकार प्राप्त है। बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि जो कि संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है, उसको आगे से आगे अजनबी क्रेता को बेचान हस्तानान्तण कर देगा तो मौके पर और अधिक भारी विवाद होगा, हम अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को अपने कब्जा काश्त में परेशानी भी आयेगी और हम अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उक्त वादस्थ कृषि भूमि से महरूम हो जायेगे। हम अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने कभी भी प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि में किसी प्रकार की बाधा अड्चन उत्पन्न नहीं की है, और न ही धोरा पाली को लेकर विवाद किया है। इसलिए प्रार्थी कतई अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है, न ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी को कभी बंटवाड़ा करने से मना किया है और न ही प्रार्थी इस बाबत आकर मिला, जबकि राजस्व रेकर्ड में आज भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बंटवाडा करने के लिए तैयार व सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई एज उतराज नहीं है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 655 रकबा 3.4500 हैक्टर की कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 चैनसिंह ने 0.9600 हैक्टर (6 बीघा) कृषि भूमि प्रार्थी को तथा 0.9600 हैक्टर (6 बीघा) अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दिनांक 26/6/2014 को जरिये बेचान रजिस्ट्री के बेचान किया गया तथा उसी दिन अप्रार्थी चैनसिंह ने मौके पर माप चौक कर झालमसिंह के पड़ौस वाली चिपते ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के चिपते ही पडौस वाली कृषि भूमि रोड से माप कर प्रार्थी को धोरा लगवाकर सुपुर्द की थी तथा शेष कृषि भूमि को खसरा नंबर 652 के चिपते ही अपने हिस्से में रखा, उसी अनुसार सभी खातेदार मौके पर संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' के अनुसार काबिज काश्त वक्त खरीद से चले आ रहे है। पटवारी हल्का द्वारा जरिये बेचान रजिस्ट्री से राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन भरते वक्त अपनी मन मर्जी अनुसार बिना किसी पक्षकारान के आवेदन या बिना सहमति के खसरा नंबर 655 के रोड़ साईड अनुसार खड़े टुकड़े न कर खसरा नंबर 655 के आडे तीन टुकडे कर नामान्तरण के पीछे नजरी नक्शा बनाकर खसरा नंबर 655 के तीन टुकड़े यानि 655 मूल खसरा रकबा 1.5300 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से में रोड़ के चिपते ही रख दिया और उनके पीछे खसरा नंबर 655/1 रकबा 0.9600 हैक्टर प्रार्थी के हक हिस्से का होना बताया व खसरा नंबर 655/2 रकबा 0.9600 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक हिस्से में होना बताया। जिसका म्यूटेशन संख्या 1161 दिनांक 06/4/2015 को भरकर ग्राम पंचायत सरदारसमंद के सरपंच से पास करवा दिया, जबकि ग्राम पंचायत या सरपंच को विधिक बंटवाड़ा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, अर्थात प्रारम्भ से शून्य है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, यदि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की खरीदसुदा कब्जाकाश्त की कृषि भूमि से प्रार्थी को अपनी मन माफिक कब्जा कर बेदखल कर आगे से आगे बेचान हस्तानान्तरण करने पर उतारू है, यदि अप्रार्थीगण अपने कृत्य में सफल जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह दौराने मूल वाद वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी के वक्त खरीद व नजरी नक्शा अनुसार काबिज कृषि भूमि (0.9600 हैक्टर यानि 6 बीघा) में अप्रार्थीगण किसी प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा अडचन नही पहुंचावे तथा अप्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर अन्यत्र किसी को बेचान हस्तानान्तरण न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे। **जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा** व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि बेचान की जाने वाली कृषि भूमि के उत्तर दिशा में इसी खसरे (655) की शेष भूमि (अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की) तथा बेची गई कृषि भूमि की दक्षिणी दिशा में आज ही हेमेन्द्र सिंह व कृष्णपाल सिंह को बेचान की गई कृषि भूमि आई हुई है। इससे यह भली भांति प्रमाणित होता है कि प्रार्थी को बेची गई कृषि भूमि सडक से चिपते आई हुई नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655 व दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655/2 के मध्य प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655/1 क्षेत्रफल 0.9600 हैक्टर स्थित है, इस कृषि भूमि के इत्तर अन्य किसी भूमि पर प्रार्थी का न तो हक अधिकार है, न उसका कब्जा है। अप्रार्थी संख्या द्वारा प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बेची गई कृषि भूमि का नया खसरा संख्या 655/1 बना है, जो सम्पूर्ण खसरा अकेले प्रार्थी के खातेदारी का है, जिस भूमि में अन्य कोई सहखातेदार नहीं है। अतः प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 655/1 विधिक रूप से विभाजित किये जाने योग्य कृषि भूमि नहीं है। अतः कृषि जोत के विभाजन के लिये प्रार्थी का वाद पोषणीय नहीं होने से अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र भी पोषणीय नहीं है। **जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 3** ने प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर प्रा0पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 655 रकबा 3.4500 हैक्टर की कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 ने 0.9600 हैक्टर (6 बीघा) कृषि भूमि प्रार्थी को तथा 0.9600 हैक्टर (6 बीघा) अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दिनांक 26/6/2014 को जरिये बेचान रजिस्ट्री के बेचान किया गया, जिसका म्यूटेशन संख्या 1161 दिनांक 06/4/2015 को भरकर ग्राम पंचायत सरदारसमंद द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2020 में संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होना बताकर तथा हाल ही में मौके पर कृषि भूमि की अवराई हेतु जाने पर विवाद होना बताकर मूल वाद बंटवाड़े का तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा0पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया, जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 01 चैनसिंह की एकमात्र खातेदारी की रही है, न की संयुक्त खातेदारी की। तथा नामा0 सं0 1161 दिनांक 06.04.2015 को स्वीकृत होने से ही वादग्रस्त कृषि भूमि अलग–अलग पक्षकारों के नामों तरमीम हो चुकी थी। चूंकि प्रार्थीत भूमि में अप्रार्थी सं0 01 रेकर्डेड खातेदार हैं तथा वादग्रस्त कृषि भूमि वाद पेश करने से पूर्व से ही विभाजित हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति कतई प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनती हैं। जबकि यदि प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 2 व 3 अप्रार्थी सं0 01 की खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग, कब्जे काश्त में दखलांदाजी करते है, तो वाद की बहुलियता बढेगी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी सं0 01 के पक्ष में सिद्ध होती हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना तथा अप्रार्थी सं0 01 का काउण्टर प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 01 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सरदारसमंद तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 655 रकबा 1.5300 है0 के मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने हेतु प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 02 व 03 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबंद किया जाता हैं तथा अप्रार्थी सं0 01 के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से अप्रार्थीगण सं0 02 व 03 तथा प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा वाद निर्णय तक रोका जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला पाली (राज.)